

आदेश पत्र को सचिव में जमा की गई। जिसके अनुसार

श्रीमान श्री

प्राची द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज आधार व्हाटा, राज्या व्हाटा, के अन्तर्गत जमा कराया गया। पुत्र काशुराम बुद्ध किया जाना उचित है।

उपरोक्त दस्तावेजों पर उचित कर लगाया गया है।

दिनांक :-

क्रमांक - राजस्व/2020/

यह ही उपरोक्त अधिकारी को सूचित कर दिया है कि आदेश पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम सुकरा किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम सुकरा किया जाने की अधिसूचना की जाती है।

उक्त किता जागू उचित है।

02/02/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुडामोडजी

सचिव उपखण्ड अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंडगुं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 21/2/21

प्राची के द्वारा दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपर्युक्त दस्तावेजी साधों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडामोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नलिखित वर्तन प्रविष्टि जो विभागाधिकारी एवं श्री बुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडामोडजी को राजस्व रिपोर्ट में उचित दरमद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है।)
1	जमदीशपुरा	2015-78	74	भगवान सहाय पुत्र काशु जाति मालि	भगवान राम पुत्र काशुराम जाति मालि

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहने मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 21/2/21

क्रमांक - राजस्व/2020/1771-72

- 1 तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुडामोडजी को वास्तु पालनाथ।
- 2 प्राची/प्राचीया को सूचित।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी